

बिहार सरकार
उद्योग विभाग,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय,
बिहार, पटना।

संशोधित आदेश

सं०सं०-ह०क० (14)योजना(पावरलूम) -03/2015

आदेश तदनुसार ज्ञापांक-171 दि०-25.01.2016 के द्वारा उद्योग विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०-259 दिनांक-19.01.2016 द्वारा स्वीकृत 12 वीं पंचवर्षीय योजनाकाल (2015-16 से 2016-17) में, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की योजना In- situ upgradation of plain powerloom scheme अन्तर्गत, प्लेन विद्युतकरघा में अतिरिक्त साज-सज्जा (additional attachment) लगाकर, अर्द्धस्वचालित (Semi-Automatic) विद्युतकरघा में परिवर्तित करने पर प्रति विद्युतकरघा पर होने वाला व्यय का 40% अथवा रू० 12000/- जो कम होगा, उतनी राशि राज्य सरकार के अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने की प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश का निर्धारण किया गया है, की कंडिका-1 (च) में प्रावधान किया गया है कि "स्थल निरीक्षण टीम के प्रतिवेदन के आधार पर वस्त्र समिति का मुख्यालय, मुम्बई तथा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकता से प्राप्त अनुदान की स्वीकृति एवं राशि भुगतान का आदेश प्राप्त होने पर निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम द्वारा राज्यांश का अनुमान्य राशि की स्वीकृति एवं लाभुक विद्युतकरघा बुनकरों के बैंक खाता में उप विकास पदा०(वस्त्र), भागलपुर द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राशि का भुगतान की प्रक्रिया एक माह के अन्दर निदेशालय द्वारा पूरा कर दिया जाएगा" को, निम्नवत संशोधित किया जाता है-

"स्थल निरीक्षण टीम के प्रतिवेदन के आधार पर वस्त्र समिति का मुख्यालय मुम्बई तथा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकता से प्राप्त अनुदान की स्वीकृति एवं राशि भुगतान का आदेश प्राप्त होने पर उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) भागलपुर द्वारा राज्यांश की अनुमान्य राशि लाभुक विद्युतकरघा बुनकरों के बैंक खाता में अविलम्ब उपलब्ध कराई जाएगी"।

उक्त आदेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगा।

ह०/-

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), भागलपुर/प्रभारी पदाधिकारी, पावरलूम सेवा केन्द्र, नाथनगर, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1892 पटना, दिनांक- 06/12/16

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक(योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ/आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/12/16
निदेशक,

हस्तकरघा एवं रेशम